न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 157/09 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री माधुलाल उर्फ माधवलाल पिता शंकरलाल प्रजापत निवासी सनवाड तह. मावली।
2. श्री भानु कुमार पिता हीरालाल प्रजापत निवासी सनवाड तह. मावली।
3. श्री गोपालदास पिता हीरालाल प्रजापत निवासी सनवाड तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फतहनगर–सनवाड तह. मावली।
2. श्री गणपति इन्टर प्राइजेज ठेकेदार सा. श्री संजय कुमार गोयल निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री मनीष तम्बोली, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.01.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक वाद माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर दिया है, ठोस तथ्यों पर आधारित होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी।
2. यह कि गांव सनवाड पटवार क्षेत्र सनवाड में स्थित कृषि भूमि आ.न. 638 रकबा 2.5 दो बीघा 5 बिस्वा वर्तमान में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बिलानाम काबिल काश्त के नाम से दर्ज हैं।
3. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की किस्म बंजड है। प्रार्थीगण उक्त जमीन पर अपने जातिगत पेशा मिट्टी के बर्तन, ईंटें इत्यादि बनाने का कार्य कर एवं कृषि कार्य कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि हम प्रार्थीगण के पास हमारे पूर्वजो के समय से अर्थात् आज से करीबन 65 वर्षों पूर्व ईंट भट्टा बनाकर ईन्टे बनाने एवं पकाने का कार्य शुरू किया और तभी से उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से लगातार निरन्तर काबिज हो कुम्हारी कार्य करते आ रहे है और इसी के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करते है एवं कुछ हिस्सा भूमि को लाखों रूपये की लागत लगाकर एवं 65

Scanned with CamScanner

वर्षों से परिवार सहित श्रम कर खेती योग्य बनाया है एवं काश्त करते आ रहे है और उक्त सम्पूर्ण दो बीघा पांच बिस्वा भूमि पर हम प्रार्थीगण का कब्जा गत 65 वर्षों से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है और राज्य सरकार में पेनाल्टी जमा करवाते आ रहे हैं।

5. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 2.05 दो बीघा पांच बिस्वा भूमि पर हम प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से गत 65 वर्षों से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है और उक्त भूमि पर गत 65 वर्षों से हम प्रार्थीगण व हमारे पूर्वजों का कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर भी हम उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को हम वादीगण अपने नाम पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से घोषित फरमा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अकंन करवाने के अधिकारी हैं।
6. यह कि उक्त आराजी नम्बर 638 रकबा 2.05 बीघा, दो बीघा पांच बिस्वा भूमि पर हम प्रार्थीगण गत 65 वर्षों से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु कार्यालय नगरपालिका फतहनगर सनवाड द्वारा निविदा सूचना क्रमांक न.पा.फ.स./2009–10/365 द्वारा उक्त हम प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि पर सनवाड रामतलाई पर उधान निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 5.00 लाख, धरोहर राशि 10,000/– रूपये दिनांक 12.06.2009 जारी की गई है, जिसकी निविदा श्री गणपति इन्टर प्राइजेज, ठेकेदार सा. श्री संजय कुमार गोयल निवासी फतहनगर के नाम पर हो उक्त प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 हमारे कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे है, जबकि उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण गत 65 वर्षों से लगातार निरन्तर काबिज हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण के कब्जे को जबरन खाली कराने का इनको कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि विपक्षी सं. 1 व 2 उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में ताफैसला जबरन ताकत के बल पर कब्जाकर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे और हम प्रार्थीगण के अधिकार आधिपत्य की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे, न कब्जा करने की चेष्टा करे, न हमारे उपयोग उपभोग काश्त में बाधा पहुंचावे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न किसी ओर से करावे।
7. यह कि प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बिलानाम काबिल काश्त के नाम से अंकित है, जिस पर करीबन 65 वर्षों से हम प्रार्थीगण व हमारे पूर्वजों का कब्जा हो उक्त भूमि से अपना भरण पोषण करते आ रहे हैं। सुविधा सन्तुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त सम्पति पर लाखों रूपयों की लागत लगाकर एवं गत 65 वर्षों से परिवार सहित श्रम कर खेती योग्य बनाई हैं एवं काश्त करते आ रहे है और एडवर्स पजेशन के आधार पर भी हम उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं विपक्षीगण उक्त सम्पति पर कब्जा करने में

Scanned with CamScanner

सफल हो गये तो हम प्रार्थीगण को जो क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति नहीं होगी।

8. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में ताफैसला विपक्षीगण सं. 1 व 2 जबरन ताकत के बल पर कब्जाकर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे और हम प्रार्थीगण के अधिकार आधिपत्य की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें, न कब्जा करने की चेष्टा करे, न हमारे उपयोग उपभोग काश्त में बाधा पहुंचावे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न किसी ओर से करावें।
9. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 बाजवूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 3 राजपेरोकार द्वारा जवाब नही देना चाहा। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि होकर स्थानीय निकाय नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई दाद प्राप्त नहीं कर सकता हैं। प्रार्थी द्वारा मनगढन्त एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य हैं।
10. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा दस्तावेज पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला—</u>* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।
2. *<u>सुविधा का संतुलन—</u>* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी सं. 1 खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

Scanned with CamScanner

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर 65 वर्ष से पूर्व ईट भट्टा लगाकर ईट्टे बनाने का कथन किया हैं जबकि उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। राजकीय भूमि होने से प्रार्थीगण का कोई टाईटल नहीं बनता हैं। विपक्षी सं. 1 खातेदार होने से विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जा सकता हैं। खांतेदार को पाबंद करने पर खातेदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भमि में कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुवे हैं। अतः विपक्षी सं. 1 खातेदार होने से विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Scanned with CamScanner